संख्या:34/2023/1168ई-2/तेरह-2023-1437280

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2023

विषय:-मे. द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. आसवनी इकाई द्वारिकेश धाम, ग्राम भगवानपुर फुलवा, तहसील फरीदपुर जनपद बरेली को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल का उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-71/दो-प्रा.डी.-232, दिनांक 31-07-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31-07-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मे द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. आसवनी इकाई द्वारिकेश धाम, ग्राम भगवानपुर फुलवा, तहसील फरीदपुर जनपद बरेली की क्षमता 175 कि.ली. प्रतिदिन के स्थान पर अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत वृद्धि कर 218.75 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् स्वीकृत वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 612.5 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 153.125 लाख ली. अतिरिक्त अल्कोहल का उत्पादन अर्थात् कुल 765.625 लाख लीटर वार्षिक अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/ इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(क) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा।

(ख) आसवनी द्वारा शासनादेश दिनांक 01.02.2021 में लगायी गयी शर्तों एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र दिनांक 13.04.2023 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) आसवनी में बी- हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(घ) आसवनी द्वारा अल्कोहल उत्पादन करते समय 'भारतीय मानक ब्यूरो' (बी.आई.एस) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।